कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.–(07632-248414)
Email - dfosbalaghat@mpforest.org

क्रमांक / मा.चि. / 5374 / बालाघाट, दिनांक 16/6/2017

प्रति,

मेसर्स अर्पण फेरो एलायस
कोसमी, बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– जिला बालाघाट के दक्षिण (सा.) वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के संरक्षित वनखण्ड–मोहगांवघाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हेक्टेयर (69.22 एकड) वनभूमि मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा–2(ii) के अंतर्गत मेगनीज ओर खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक–FP/MP/MIN/19894/2016
आवेदक– मेसर्स अपर्ण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक–दिनांक 24.04.2017 एवं दिनांक 27.04.2017

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र, एवं प्रेषित ऑन लाईन तथा हार्ड कापी प्रस्ताव का अवलोकन करें। ऑनलाईन एवं हार्ड कापी प्रस्ताव मे FORM-A के PART-1 के बिन्दु क्रमांक L (i),(ii),(iii),(iv),a,b,c,d,e,f,g,h,(v) (vi) मे संलग्न अभिलेख वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैरवनभूमि बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर अंतर्गत ग्राम–असरमा, प.ह.न. 11/30 के 18 किसानो के विभिन्न खसरा क्रमांकों क्रमशः 10/4 घ, 17/5, 17/4, रकबा 2.407 हे., 17/1ग, रकबा 1.092 हे., 3/1क, 4/1 रकबा 1.619 हे., 17/1ख/1, 17/5/1 रकबा 0.809 हे., 10/1क/1, 10/2क, 10/1घ, 10/4ख, 10/8, 10/4छ रकबा 1.996 हे., 5/1, 10/1ख, 10/1ड, 10/4ग रकबा 2.173 हे., 10/1क/4/क रकबा 0.191 हे., 10/4च/1, 17/1घ, 17/2, 17/3/1 रकबा 2.124 हे., 17/6ग रकबा 0.388 हे., 17/1ख 2, 17/5/2 रकबा 2.340 हे. 1/2/2, 2/2/2, 3/3/2 रकबा 0.571 हे., 10/1 क, 4/ग रकबा 0.384 हे., 10/1च रकबा 0.097 हे., 10/1ग, 10/6 रकबा 0.097 हे., 17/1ज रकबा 0.389 हे., 17/1ट रकबा 0.178 हे., 1/2/3, 2/2/3, 3/3/3 रकबा 0.571 हे., 3/2 रकबा 0.729 हे., 13/2, 13/3, 18/1ग रकबा 1.433 हे., 3/1ज, 4/8 रकबा 0.817 हे., 1/2/1, 2/2/1, 3/3/1 रकबा 0.571 हे., 1/1क3 रकबा 0.648 हे., 1/1क6, 1/1ख, 1/4, 2/1ख रकबा 2.189 हे. 13/4, 13/8, 18/5 रकबा 1.628 हे. 17/1 ख रकबा 3.427 हे. = कुल रकबा 28.868 हेक्टेयर भूमि का स्थल निरीक्षण आपके संस्थान के प्रतिनिधि जनरल मेनेजर श्री अनिल चतुरमोहता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को कराया गया। स्थल निरीक्षण एवं आपके संस्थान के प्रतिनिधि से हुई चर्चा में यह पाया गया कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया स्थल विरान राजस्व ग्राम है, इसमें विभिन्न 18 किसानों की निजी भूमिस्वामी हक की कृषि भूमियां है, उक्त विरान ग्राम असरमा में कोई आबादी निवासरत नही पाये गये। प्रस्तावित स्थल देव नदी के पूर्वी दिशा में नदी भाग से लगा हुआ क्षेत्र है। प्रस्तावित भूमि तीन तरफ ऊंचे पहाडों एवं एक तरफ देव नदी से घिरी है, चूंकि वृक्षारोपण वर्षाकाल में किया जाता है, लेकिन वर्षाकाल में उस स्थल पर लगभग 100 मीटर चौडाई की तेज बहाव वाली नदी को पार करने का कोई साधन नही होने से प्रस्तावित स्थल तक वृक्षारोपण सीजन में पहूंचना असंभव है, अतः प्रस्तावित भूमि इस कारण से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है।

अतः तत्संबंध में आपको लेख कर सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों/परिस्थितयों एवं क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण के मार्गदर्शिता के अनुरूप प्रस्तावित स्थल उपयुक्त नही पाये जाने से प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त उल्लेखित खसरों/रकबों की भूमि वन विभाग/इस वनमंडल द्वारा ली जाना संभव नही है। कृपया अन्यत्र, अन्य गैरवनभूमि क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित करने का कष्ट करे।

अतः संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः 05 प्रतियों में संलग्न वापस कर लेख है, कि उपर्युक्त पूर्ति कर पूर्ण प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से भिजवाये एवं प्रस्ताव की हार्ड कापी भी 05 प्रतियों में इस वनमण्डल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि पूर्ण प्रस्ताव मय वांछित अभिलेखों के प्राप्ति होने पर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(05 प्रतियों मे प्रस्ताव मूलतः वापसी)

(अशोक कुमार)
(भा.व.से. 2006)
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

–2–

पृष्ठा. कमांक / मा.चि. / 5375 / बालाघाट, दिनांक 16/6/2017

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3773 दि0 27.04.2017 एवं पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3840 दि0 28.04.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) उपवनमंडलाधिकारी कंटगी (सा0) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3773 दि0 27.04.2017 एवं पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3840 दि0 28.04.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(3) वनपरिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा0) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3773 दि0 27.04.2017 एवं पत्र पृ0कं0 / मा0चि0 / 3840 दि0 28.04.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अशोक कुमार)
(भा.व.से. 2006)
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा) वनमंडल बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट